

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(142)/2017/1230

दिनांक:- 06/09/2017

समस्त प्रधानाचार्य, संलग्न मेडिकल कॉलेज,
समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह,
समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।

विषय:-जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2017-18 में प्रवेश की अनुमति बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय द्वारा जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2017-18 में प्रवेश हेतु जारी विज्ञप्ति प्रशि./जीएनएम/जी-88 (पार्ट 1)/2017/622 दिनांक 24.08.2017 के बिन्दु संख्या E में विभाग में सेवारत कर्मचारियों के लिए निर्धारित सीटों पर आरक्षण दिये जाने का उल्लेख किया गया है। यह लाभ केवल उन्हीं विभागीय कर्मचारियों को देय होगा, जिन्होंने विभाग में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली गयी है।

विभाग में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण किये जाने की सुनिश्चितता के साथ अनुमति दिए जाने के लिए प्रमाण पत्र जारी किए जाने के लिए आपको अधिकृत किया जाता है। इस संबंध में यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि कर्मचारी ने विभाग में 5 वर्ष की स्थाई/नियमित सेवा पूर्ण कर ली है। उक्त प्रमाण पत्र जारी करने में किसी भी प्रकार की त्रुटि/लापरवाही के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

दिनांक:-

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(142)/2017/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकि0 एवं स्वा0 विभाग, राज0, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकि0 एवं स्वा0 विभाग, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण), मुख्यालय।
- ✓ 6. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर